21
अंतरराष्ट्रीय सहयोग

प्रस्तावना

21.1 सन् 1919 में गठित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में भारत भी एक सदस्य है तथा यह 1922 से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का स्थायी सदस्य है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 179 सदस्य हैं । अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का त्रिपक्षीय स्वरूप ही इसकी एक प्रमुख विशेषता है । संगठन के प्रत्येक स्तर पर, सरकार दो अन्य सामाजिक भागीदारों के साथ संबद्ध है यथा, कामगार तथा नियोक्ता। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के तीन घटक हैं (1) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन - अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जनरल एसेंबली जो कि प्रतिवर्ष जून में बैठक करती है, (2) शासी निकाय- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यकारी परिषद, जो कि वर्ष में तीन बार, मार्च, जून एवं नवम्बर में बैठक करती है तथा (3) अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय- एक स्थायी सचिवालय । अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गठन के बाद से ही भारत इसकी कार्रवाई में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है ।

21.2 भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जो कि त्रिपक्षीय संघटन है, नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेता रहा है । अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन नीति-निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन एक प्रमुख निकाय है । हालांकि, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अंगीकार किए गए अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को अपने प्रतिनिधियों एवं सलाहकारों के वृहत् अनुभवों से और अधिक मजबूत बनाया जाता है । भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण जिन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर काफी लम्बा अनुभव हासिल किया है, उनके अनुभवों से हमारे राष्ट्रीय विधानों एवं प्रक्रियाओं को बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय संदर्श प्राप्त हो सकेगा। अभी तक हमलोगों ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 40 अभिसमयों तथा एक नयाचर का अनुसमर्थन किया है ।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का **94**वाँ **(**समुद्रवर्ती**)**

21.3 8 से 23 फरवरी, 2006 तक जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 94वें (समुद्रवर्ती) सत्र का आयोजन किया गया जिसमें समुद्रवर्त्ती श्रम सम्मेलन, 2006 का मसौदा अंगीकार किया गया । यह एक मात्र अंतरराष्ट्रीय श्रम अभिसयम है, जिसमें सभी समुद्रवर्ती अभिसमयों का एक व्यापक समन्वयन है और जो तटवर्त्ती क्षेत्रों के तेजी से वेश्वीकरण की दिशा में उपयुक्त कार्य-दशाओं का निर्धारक है । इस अभिसमय को जहाजरानी (शिपींग) के लिए अंतरराष्ट्रीय विनियामक व्यवस्था के 'चतुर्थ स्तम्भ' के रूप में जाना जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठनों के अभिसमयों यथा ः- समुद्री जीवन की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (सोलास), जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1973 (मारपोल) एवं प्रशिक्षण प्रमाणन के मानकों और वाच कीपिंग (एसटीसीडव्ल्यू) के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, का अनुपूरक है । इस अभिसमय के कई नए स्वरूप हैं जो अं.श्र.सं. के सदस्यों को प्रारंभिक

अनुसमर्थन एवं इन अभिसमयों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने उसका प्रवर्तन तथा आसानी से अद्यतन करने हेतु सक्षम बनाता है। इस अभिसमय को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कम-से-कम 30 अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी जिसमें 33 % वर्ल्ड ग्रॉस टन भार शामिल है ।

अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 95वें वां सत्र

21.4 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 95वें वाँ सत्र 31 मई से 16 जून, 2006 तक जेनेवा में आयोजित किया गया । उद्घाटन के दिन 178 आइ एल ओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकार, श्रमिकें और नियोक्ताओं के लगभग 4000 लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। आइ एल सी ने दो मुख्य अतिथि वक्ताओं को अवसर दिया- लाइबेरिया के राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरानीफ और कोस्टारिका के राष्ट्रपति ऑस्कर एरियस सांचेज को। राष्ट्रपति एलेन जॉनसन ने अपने देश में शांति और विकास के लिए तुरन्त कदम उठाने की अपील की। सम्मेलन का मुख्यश् विषय बाल श्रम को प्रभावी उन्मूलन म्यामां में बलात् श्रम अभिसमय 1930 (संगठन) का अनुप्रयोग, अरब के कब्जे वाले क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति, न्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा रोजगार संबंध था। सम्मेलन में कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा 2004-2005 में संगठन के क्रियाकलापों और स्वास्थ्य पर बदलते तौर-तरीकों के बारे में आई एल ओ के महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।

21.5 समिति ने बंगलादेश और बेलारूस में संघ बनाने की स्वतंत्रता के सिद्धान्त के अनुप्रयोग के बारे में चिंता प्रकट की । समिति ने बलात् श्रम अभिसमय 1930 (सं. 29) के अनुप्रयोग के बारे में म्यामां द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर भी ध्यान दिया। इसके अलावा, समिति ने व्यक्तिगत मामलों की पड़ताल की जिनमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे शामिल थे, जैसे-रोजगार नीति, श्रम निरीक्षण, मजदूरी, संघ बनाने की स्वतंत्रता और बलात् श्रम। समिति ने सरकार, नियोक्ताओं और कोलम्बिया के श्रमिकों के बीच देश में आइ.एल.ओ. की स्थायी मौजूदगी के लिए नियमानुसार हुए ऐतिहासिक समझौते को भी अभिलिखित किया ताकि राष्ट्रीय मर्यादित काय्र राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन और कार्य स्थल पर मूलभूत सिद्धान्तों और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता दी जा सके।

21.16 महासर्वेक्षण में श्रम निरीक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के छठे महासर्वेक्षण पर चर्चा की गई। सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित रिपोर्ट काफी सूचनाबद्ध थ्।ं इसमें श्रम कानूनों के प्रवर्तन और श्रमिक हितों के संरक्षण में निरीक्षण के महत्व का उल्लेख किया गया है।

तकनीकी सम्मेलन समिति

21.7 शिष्टमंडल के सदस्यों ने आई.एल.ओ. कार्यक्रम में 1999 के बाद से आए महत्वपूर्ण दृष्टिकोणगत और प्रशिक्षण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आई.एल.ओ. तकनीकी सहयोग कार्यक्रम की समीक्षा की। समिति ने आई.एल.ओ. के त्रिपक्षीय संघटकों के सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया और

तकनीकी सहयोग परियोजनाओं की सहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया ।

सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति

21.8 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विषयक पहली चर्चा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आई एल ओ सी) के 93वे वें सत्र में हुई ताकि नए उपाय किए जा सके जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। इसके बाद, प्रस्तावित अभिसमय और अनुशंसा संबंधी एक अन्य चर्चा आई एल सी के 95वे वें सत्र में की गई। प्रस्तावित उपायों से व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा राष्ट्रीय कार्यसूची में प्रमुख बन जाएगा और राष्ट्रीय व्यासायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणालिया सशक्त होनी तथा निवारक सुरक्षा और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने प्रस्तावित लिखतों को अंगीकृत किया।

21.9 रोजगार संबंध समिति ने रोजगार संबंध विषयक अंतर्राष्ट्रीय श्रम अनुशंसा पर चर्चा की और उसे अंगीकृत किया । नए मानक में सदस्य राष्ट्रों से अपील की गई है कि वे श्रमिकों और नियोक्ताओं से परामर्श कर रोजगार संबंध के अस्तित्व को प्रभावी रूप से स्थापित करने तथा नियोजित और सव- नियोजित श्रमिकों के बीच अंतर करने संबंधी राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण और अंगीकरण करें । इसमें हृदय रोजगार संबंध को रोकने की जरूरत पर बल और हर प्रकार की ठेकागत व्यवस्थाओं के मानकों का अनुप्रयोग सुनिश्चित करने पर दिया गया है।

14वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक

21.10 आई एल ओ की एशियाई क्षेत्रीय बैठक हर चौथे वर्ष आयोजित की जाती है और इसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 29 देशों के तथा पश्चिम एशिया के 11 अरब देशों के सरकार, कर्मचारी और नियोक्ता संगठन के, यानी, त्रिपक्षीय भागीदार शामिल होते हैं। एशियाई क्षेत्रीय बैठक का 14वां सत्र बुसान, दक्षिण कोरिया में 29 अगस्त से 1 सितम्बर, 2006 तक आयोजित किया गया बैठक का समग्र विषय था - एशिया में मर्यादित कार्य के स्वपन को साकार करना । बैठक का उद्देश्य एशिया में मर्यादित कार्य को वास्तविक रूप देने के लिए उठाए जाने वाले ठोस और व्यावहारिक कदमों और प्राप्त होने वाले विशिष्ट निष्कर्षों की पहचान करना । बैठक का उद्देश्य इन लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की भूमिका को परिभाषित करना भी था ।

21.11 आई एल ओ के महानिदेशक ने बैठक में दो रिपोर्टें पेश कीं - *परिणाम संबंधी रिपोर्ट 2001-2005* और '*21वीं सदी में एशिया की प्रमुख भूमिका में मर्यादित कार्य*' । पहली रिपोर्ट में उक्त अवधि के दौरान क्षेत्र में किए गए आई एल ओ क्रियाकलापों की समीक्षा की गई । किए गए क्रियाकलपों का लक्ष्य मुख्यतः स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर सैद्धांतिक प्रयासों द्वारा मर्यादित कार्य को बढ़ावा देना था । रिपोर्ट में 2006-07 के लिए आई एल ओ कार्यों के प्राथमिकतओं को भी उजागर किया गया । रियलाइजिंग डिसेन्ट वर्क इन एशिया नामक दूसरी रिपोर्ट क्षेत्रीय स्तर पर मर्यादित कार्य बढ़ावा देने के लिए जरूरी कार्य संबंधी

विषयपरक रिपोर्ट थी। वैश्वीकरण के संदर्भ में मर्यादित कार्य अवसरों और चुनौतियों, एशिया में यौक्तिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता के विश्लेषण के अलावा इसमें क्षेत्र में मर्यादित कार्य को व्यवहार रूप देने के लिए मुख्य नीतिगत मुद्दों की पहचान की गई और इन मुद्दों के समाधान के लिए क्षेत्रीय सहयोग और महत्वपूर्ण साझेदारियों पर चर्चा की गई। इसमें आई एल ओ के त्रिपक्षीय संघटकों से अपील की गई है कि वे मर्यादित कार्य को व्यवहार रूप देने के लिए ठोस और व्यवहारिक निष्कर्षों की पहचान करें और इन निष्कर्षों की प्राप्ति में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की भूमिका को परिभाषित करें।

21.12 बैठक के दौरान महानिदेशक की रिपोर्ट के मुख्य विषयों के समाधान हेतु चार समानांतर सत्र आयोजित किए गए। ये सत्र निम्नानुसार थे ः-

- वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादकता और रोजगार
- एशिया में मर्यादित कार्य को व्यवहार रूप देने के लिए श्रम बाजार शासन
- सहस्त्राब्दी पीढ़ीः युवाओं के लिए मर्यादित कार्य
- श्रमिक प्रवास ःआई एल ओ बहुपक्षीय फ्रेम वर्क के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय नीति

21.13 बैठक में भारत ने सक्रिय सहभागी की भूमिका निभाई। महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भारतीय शिष्टमंडल ने कहा की सरकार वैश्वीकरण की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उभरते क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन द्वारा श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र में तब्दील करने के सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया। शिष्टमंडल ने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रम बाजार में नम्यता और खास कर सुरक्षा के मुद्दे के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।

21.14 एशियाई क्षेत्रीय बैठक इस संकल्प के साथ सम्पन्न हुई एशिया में सभी देशों में मर्यादित कार्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ठोस और लगातार प्रयास किए जाएंगे। प्रतिनिधियों ने 2015 तक की अवधि को एशियाई मर्यादित कार्य दशक बनाने के प्रति स्वयं को समर्पित करने की बात कही। उन्होंने यह संकल्प भी लिया कि वे मर्यादित कार्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए सक्रिय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। बैठक में आई एल ओ की भावी कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं भी तय की गई हैं।

वैश्वीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सार्थक उपाय किए जाने पर बल दिया इस सम्मेलन के मुख्य केन्द्र बिन्दु बाल श्रम का प्रभावी उत्सादन, म्यांगार में बलात् श्रम अभिसमयों, 1930 (संख्या 29) का अनु प्रयोग, अधिगृहीत अरब क्षेत्रों में कामगारों की स्थिति, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं रोजगार संबंध, हो। इस सम्मेलन में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन रिपोर्टों तथा 2004-05 में संगठन की गतिविधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के

महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत किए श्रम संबंधी विश्व के बदलते परिदृश्य पर चर्चा की गई।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय की बैठकें

21.15 शासी निकाय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यकारी निकाय है तथा यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है । भारत ने जेनेवा में 2006 के दौरान आयोजित शासी निकाय के 295वें, 296वें एवं 297वें सत्र में सक्रिय भूमिका अदा की।

शासी निकाय का **295**वाँ सत्र

21.16 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 295वें सत्र का आयोजन 16-31 मार्च, 2006 को जेनेवा में किया गया।

21.17 फ्रीडम ऑòòफ एसोसियेशन संबंधी समिति, जिसकी स्थापना शासी निकाय द्वारा 117वें सत्र नवम्बर, 1951 के द्वारा की गई थी, की बैठक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय जेनेवा में 16,17 और 18 मार्च, 2006 को आयोजित की गई । यह शासी निकाय को प्रस्तुत फ्रीडम ऑफ एसोसियेशन के उल्लंघन और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों को देखता है। भारत से संबंधित मामले फ्रीडम ऑफ एसोसियेशन संबंधी समिति के विचारार्थ सूची में शामिल नहीं हैं ।

21.18 शासी निकाय की कार्यक्रम, वित्त एवं प्रशासनिक समिति की 23, 24 और 29 मार्च, 2006 को बैठक हुई । इस बैठक के दौरान अं.श्र. कार्यालय ने समिति को 2004-05 के वित्तीय परिणामों की जानकारी दी। समिति ने परिणाम आधारित प्रबंधन पर भविष्य की गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की ।

21.19 कानूनी मामलों तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की समिति की बैठक 22 मार्च, 2006 को हुई । समिति ने कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय श्रम सगठन के घोषणा के अनुवर्त्ती के अन्तर्गत तैयार किए गए वैश्विक रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 25वें सत्र (जून, 2006) के दौरान चर्चा के लिए व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की । समिति ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के रोजगार एवं पेशा संबंधी भेदभाव पर कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट पर भी चर्चा की ।

21.20 रोजगार एवं सामाजिक नीति (ई एस पी) की समिति की 20 एवं 21 मार्च, 2006 को बैठक हुई । समिति ने 'डीसेन्ट वर्क कन्ट्री प्रोग्राम' के संदर्भ में वैश्विक रोजगार एजेन्डा के मूल्यांकन के लिए रूपात्मकता सहित वैश्विक रोजगार एजेन्डा के कार्यान्वयन पर चर्चा की । समिति ने ज्ञानवर्द्धन तथा कौशल विकास के माध्यम से रोजगार परकता बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की ।

21.21 क्षेत्रीय एवं तकनीकी बैठकें तथा संबंधित मामलों पर समिति की 20 मार्च, 2006 को बैठक हुई । समिति ने अन्य विषयों के अतिरिक्त, कपड़ों के उचित वैश्वीकरण से संबंधित त्रिपक्षीय बैठकों के नतीजों तथा उत्तर-एम.एफ.ए. वातावरण में पहनावा और श्रमिक प्रवास पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बहुस्तरीय ढाँचे पर चर्चा की ।

21.22 तकनीकी सहयोग पर समिति की 21 और 22 मार्च, 2006 को बैठक हुई । समिति ने बाल श्रम के उन्मूलन पर अंतरर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रचालनात्मक स्वरूपों तथा डीसेन्ट वर्क प्रोग्राम के संदर्भ में तकनीकी सहयोग पर चर्चा ।

21.23 वैश्वीकरण की सामाजिक दिशाओं के संबंध में निरीक्षण आयोग की 27 मार्च, 2006 को बैठक हुई । समिति की बैठक के दौरान भारत ने मर्यादित कार्य एजेन्डा में निहित सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा बार-बार दुहराई। ऐसा सुझाव दिया गया कि, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मर्यादित कार्य को एक वैश्विक लक्ष्य के रूप में स्थापित करने के क्रम में प्रत्येक देश के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए मर्यादित कार्य के मापदंडों को सुनिश्चित करें। मर्यादित कार्य की मूलभूत अपेक्षाओं के रूप में किसी सक्षम कामगार को सर्वप्रथम रोजगार मिलना सुनिश्चित हो, इस बात पर जोर दिया गया। इस संबंध में, ऐसा महसूस किया गया कि अं.श्र.सं. की प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन में तकनीकी सहयोग के लिए विशेष भूमिका हो सकती है जिससे कि विकासशील देशों के कुशल एवं अकुशल कामगारों को उभारते हुए कार्य अवसरों का बेहतर सदुपयोग करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

21.24 शासी निकाय का **296** वाँ सत्र

जून, 2006 में अं.श्र.सं. के शासी निकाय के 296 वें सत्र का आयोजन किया गया । इस सत्र में अन्यान्य विषयों पर चर्चा की गई जिसमें अ.श्र.स. के 95 वें सत्र में उठे प्रश्नों तथा अं.श्र.सं. की संघीय स्वतंत्रता संबंधी समिति के रिपोर्ट शामिल हैं ।

21.25 शासी निकाय का **297**वां सत्र

दिनांक 2 से 17 नवम्बर, 2006 को जेनेवा में शासी निकाय का 297वां सत्र आयोजित किया गया ।

21.26 रोजगार एवं सामाजिक नीति पर समिति की बैठक 6 एवं 7 नवम्बर, 2006 को हुई, जिसमें अन्य मामलों के साथ-साथ, युवा रोजगार, मर्यादित कार्य एजेन्डा से संबंधित सामूहिक सौदाकारी तथा वैश्विक रोजगार एजेन्डा के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई ।

21.27 शासी निकाय की वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्यक्रम समिति की 8 एवं 9 नवम्बर, 2006 को बैठक हुई । समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में परिणाम आधारित प्रबंधन में सुधार की रणनीति तथा अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानकों पर चर्चा की।

21.28 तकनीकी सहयोग पर समिति की 7 नम्वबर, 2006 को बैठक हुई जिसमें मर्यादित कार्य देश कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 95वें सत्र में अंगीकार किए गए तकनीकी सहयोग के संकल्प के अनुवर्ती गतिविधि के संकल्प के अनुवर्ती गतिविधि तथा बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित प्राथमिकताएँ/कार्य-येजना पर चर्चा की गई । समिति ने तकनीकी सहयोग एवं कार्यान्वयन की स्थिति के लिए संसाधनों के उपयोग संबंधी नीति पर भी चर्चा की ।

21.29 कानूनी मामलों और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों पर समिति की 10 नवम्बर, 2006 को बैठक हुई । समिति ने अं.श्र.सं. के संविधान में

संशोधन की प्रक्रिया के अनुसमर्थन, 1997 पर चर्चा की ।

21.30 वर्गीकृत एवं तकनीकी बैठकों तथा संबंधित मामलों पर समिति की 6 नवंम्बर, 2006 को बैठक हुई जिसमें कोयला खानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से अंबंधित विषयों पर त्रिपक्षीय बैठकों की सिफारिशों एवं विकसित खुदरा तकनीकों केक अधिप्रयोग से पड़ने वाले सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रभावों पर चर्चा की गई ।

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

21.31 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत के बीच बड़ा ही स्थायी एवं मधुर संबंध रहा हैं जो विगत वर्षों के गतिशील आपसी सहयोग के द्वारा दिखाई पड़ता है। भारत, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों में खुल कर भाग लेते हुए पूरा सहयोग प्रदान करता है।

21.32 भारत में अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की परियोजनाएं

भारत में अतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग के अंतर्गत भारतीय श्रमिकों के लिए सार्थक विभिन्न क्षेत्र जैसे रोजगार, पेशागत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं को अद्यतन करना, प्रबंधन परामर्श में विकास, महिलाओं तथा शहरी क्षेत्र के गरीबी के लिए लघु उद्यम कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, रोजगारपरक उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, कामगारों को शिक्षा आदि शामिल है। इनमें से कई परियोजनाएं तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों की परियोजनाएं कार्यान्वयन हेंतु विभिन्न चरणों में हैं ।

21.33 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भारत में व्यावहारिक अध्ययन, परियोजना डिजाइन एवं संगठन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं कार्यशाला आयोजित करने में भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है जहां अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ स्त्रा।त व्यक्तियों के रूप में कार्य करते हें । अ.श्र.सं. की सक्रिय भागीदारी नीति के अंतर्गत, अ.श्र.सं. तथा भारत के बीच साझेदारी के कारण नई दिल्ली में बहुविषय दल (अ.श्र.सं., एस.ए.ए.टी.) तकनीकी सहयोग प्रदान करता है तथा बैंकाक स्थित अं.श्र.सं. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा अं.श्र.सं. के मुख्यालय के तकनीकी विभाग के द्वारा भी उक्त सहयोग दिये जाते हैं । वर्ष के दौरान, अं.श्र.मानकों में सांख्यिकीय व तकनीकी विशेषज्ञों ने सलाहकार सेवाएं प्रदान की तथा भविष्य में संभावित साझेदारी के क्षेत्रों पर भी चर्चा की । आगामी वर्षों के लिए देश के प्रमुख कारकों की पहचान हेतु सरकार ने श्रमिक एवं नियोक्ता संगठनों के साथ मिलकर, अ.श्र.सं. के साथ करीब से कार्य किया । इस पूरे कार्य निष्पादन का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना एवं आर्थिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, बाल श्रम उन्मूलन, कार्यिस्थिति का प्रबंधन, पेशागत सुरक्षा तथा अति खतरनाक क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर ध्यान देना था । वर्ष 2006 के दौरान भारत ने अ.श्र.सं. द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया ।

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/ कार्यशाला आदि में भाग लेना

21.34 वर्ष के दौरान, अं.श्र.सं. द्वारा प्रदत्त फैलोशिप के अंतर्गत तेरह अधिकारियों को प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार एवं बैठकों में भेजा गया ।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को भारत का सहायोग

21.35 भारत अं.श्र.सं. का संस्थापक सदस्य है तथा इसके प्रारम्भ से ही इसकी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाता आया है । प्रमुख औद्योगिक महत्ता रखने वाले दस देशों में से एक होने के नाते कार्यकारी निकाय के सरकारी दल में, जोकि संगठन का कार्यकारी विंग है, भारत के पास गैर-चयनित सीट है । भारत अं.श्र.सं. की गतिविधियों में तकनीकी जनशक्ति भी मुहैया कराता है । विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए बहुत से राष्ट्रीय विशेषज्ञों को अनुबंधित किया गया ।

21.36 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को वित्तीय सहायता मुख्य रूप से सदस्य देशों से प्राप्त अंशदान से मिलती है । अं.श्र.सं. का बजट कैलेंडर वर्ष के अनुसार चलता है तथा वार्षिक अंशदान का भुगतान सदस्य राष्ट्रों की सरकारों द्वारा वर्षवार आधार पर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा निर्धारित स्केल के आधार पर किया जाता है जोकि संयुक्त राष्ट्र के मूल्यांकन मापदण्ड के अनुसार है । भारत ने समय से अंशदान का भुगतान कर अं.श्र.सं. की प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। भारत द्वारा वर्ष 2007 के लिए अं.श्र.सं. को दी गयी अशदान की राशि 1563445 स्विस फ्रैंक्स (5,38,65,489,00 रूपये के बराबर) थी।

21.37 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत भारत के बहुत से सस्थानों जैसे केन्द्रीय श्रम संस्थान (मुम्बई), क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता, कानपुर एवं चेन्नई), रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान एवं भारतीय तकनीकी संस्थान जैसी कई संस्थाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी प्रयोग किया है ।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

21.38 यू.के. के श्रम एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद् के छः सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने 10 मई, 2006 को भारत का दौरा किया। 16 मई, 2006 को केन्या के सात सदस्यीय एक प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया। 15 सितम्बर, 2006 को तुर्की के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। 2 नवम्बर, 2006 को थाईलैण्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रम और रोजगार मंत्रालय का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडलों के अतिरिक्त, भारत सरकार के नियंत्रण पर 15 से 18 अगस्त, 2006 तक श्री गाओ फेंगताओ, उप मंत्री, विधायी कार्यालय, राष्ट्रीय परिषद्, चीन की अगुवाई में एक छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया । यात्रा

के दौरान दोनों दलों द्वारा अगले तीन वर्षों तक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

21.39 यूरोपीय संघ एवं भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के बीच बातचीत की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा पारस्परिक हितों के रोजगार के हस्तांतरण एवं सामाजिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । इसके बाद, यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन, 2005 जिसमें रोजगार एवं सामाजिक नीति के क्षेत्र सहित दोनों साझेकदारों के बीच सहयोग को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया। यह सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समझोता, श्रम विधान, नियोजन, श्रम संबंधों एवं सामाजिक चर्चा

जैसे क्षेत्रों पर विचार विनिमय को आधार प्रदान करेगा। ब्लादिमिर स्पीडला, यूरोपीयन संघ के नियोजन आयुक्त तथा भारत के श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस ने यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की ।

21.40 27-28 नवंबर, 2006 को आपसी समझौते के तहत प्रथम प्रयास के रूप में, इण्डों-यूरोपीय संघ के कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं रोजगार विषय एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया ।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का **95**वाँ सत्र

21.41 31 मई से 16 जून, 2006 को जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 95वाँ सत्र आयोजित किया गया, जिसमें एक 27 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू की अगुवाई में लिया। श्री एम.आर. सिंह्, श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार एवं श्री जे.एन. मिश्रा, श्रम मंत्री, उड़ीसा सरकार भी इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थें ।

सारांश

21.42 अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के विषय में भारत का रूख हमेशा सकारात्मक रहा है । अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों में स्थापित मूल सिद्धांत कमोवेश हमारे राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों विशेषकर हमारे श्रम वल के अधिकारों के उन्मुक्त प्रयोग और संरक्षण में परिलक्षित होते हैं। हमारे अब तक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों के 40 सम्मेलनों और 1 नयाचार का अनुसमर्थन किया। विवरण तालिका **21.1** पर दिया गया है।

*****

तालिका **21.1**

भारत द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन

क्र.सं.	कन्वेंशन का नाम एवं संख्या	समर्थन तिथि
1.	सं. 1 कार्य घंटे (उद्योग) कन्वेंशन 1919	14.07.1921
2.*	सं. 2 बेरोजगारी कन्वेंशन, 1919	14.07.1921
3.	सं. 4 रात्रि कार्य (महिलाएँ) कन्वेंशन 1919	14.07.1921
4.	सं. 5 न्युनतम आयु (उद्योग) कन्वेंशन 1919	09.09.1955
5.	सं. 6 युवाओं का रात्रि कार्य (उद्योग) 1919	14.07.1921
6.	सं.11 सम्बद्धता का अधिकार (कृषि) कन्वेंशन 1921	11.05.1923
7.	सं. 14 साप्ताहित आराम (उद्योग) कन्वेंशन 1921	11.05.1923
8.	सं. 15 न्यूनतम आयु (ट्रिनर्स एवं स्टीकर्स) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
9.	सं. 16 युवाओं की चिकित्सा परीक्षा (समुद्र) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
10.	सं. 18 महिलाएँ प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) कन्वेंशन 1925	30.09.1927
11.	सं. 19 उपचार की समानता (दुर्घटना प्रतिपूर्ति) कन्वेंशन 1925	30.09.1927
12.	सं. 21 उत्प्रवासी निरीक्षण कन्वेंशन 1926	14.01.1928
13.	सं. 22 सीमेंस आर्टिकल्स समझौता कन्वेंशन 1926	30.10.1932
14.	सं. 26 न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तंत्र कन्वेंशन 1928	10.01.1955
15.	सं. 27 भार चिन्हीकरण (पोतों द्वारा ट्रान्सपोर्ट किए जाने वाले पैकेज) कन्वेंशन 1929	07.09.1931
16.	सं. 29 बलात् श्रम कन्वेंशन 1930	30.11.1954
17.	सं. 32 दुर्घटनाओं से बचाव (डॉकर्स) संशोधित कन्वेंशन 1932	10.02.1947
18.@	सं. 41 रात्रि कार्य (महिला) संशोधित कन्वेंशन 1934	22.11.1935
19.	सं. 42 श्रमिक प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) संशोधित कन्वेंशन 1934	13.01.1964
20.	सं. 45 भूमिगत कार्य (महिला) कन्वेंशन 1935	25.03.1938
21.	सं. 80 फाइनल आर्टिकल्स संशोधन कन्वेंशन 1946	17.11.1947
22.**	सं. 81 श्रम निरीक्षण कन्वेंशन 1947	07.04.1950
23.	सं. 81 श्रम निरीक्षण कन्वेंशन 1947	24.06.1959
24.	सं. 89 रात्रि कार्य (महिला) संशोधित कन्वेंशन 1948	27.02.1950
25.	सं. 90 युवाओं का रात्रि (उद्योग) संशोधित कन्वेंशन 1948	27.02.1950
26.	सं. 100 समान पारिश्रमिक कन्वेंशन 1951	25.09.1958
27.	सं. 105 बलात् श्रम उत्सादन, 1957	18.05.2000
28.	सं. 107 देशी एवं आदिवासी जनसंख्या कन्वेंशन 1957	29.09.1958

29.	सं. 108 नाविक पहचान दस्तावेज अभिसमय, 1958	17.01.2005
30.	सं. 111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) कन्वेंशन 1958	03.06.1960
31.	सं. 115 विकिरण संरक्षण, अभिसमय, 1960	17.11.1975
32.	सं. 116 फाइनल आर्टिकल्स संशोधन कन्वेंशन 1961	21.06.1962
33.#	सं. 118 उपचार की समानता (सामाजिक सुरक्षा) कन्वेंशन1962	19.08.1964
34.	सं. 122 रोजगार नीति कन्वेंशन 1964	17.11.1998
35.	सं. 123 न्यूनतम आयु (भूमिगत कार्य) कन्वेंशन 1965	20.03.1975
36.	सं. 136 बेन्जीन कन्वेंशन 1971	11.06.1991
37.	सं. 141 ग्रामीण श्रमिक संगठन कन्वेंशन 1965	18.08.1977
38.	सं. 144 त्रिपक्षीय परामर्श (अंतरराष्ट्रीय श्रमिक मानक) कन्वेंशन 1976	27.02.1978
39.	सं. 147 मर्चेंट सीपिंग (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन 1976	26.09.1996
40.	सं. 160 श्रमिक सांख्यिकीय कन्वेंशन 1985	01.04.1992
42.	सं. 89 1990 का नयाचार रात्रि कार्य (महिला) कन्वेंशन	21.11.2003

ंंं

** बाद में असहमति, कन्वेंशन में प्रत्येक **3** माह बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़े देना अपेक्षित है जिसको व्यवहार्य नहीं माना गया है ।

@ कन्वेंशन संख्या **89** के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप कन्वेंशन असहमत **(27.02.1950)**

** भाग-**II** छोड़कर

#शाखाएँ (ग) तथा (छ) तथा शाखाएँ (क) से (ग) तथा (न)

@@ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु **16** वर्ष विनिर्दिष्ट की गई थी, परन्तु **1989** में बढ़ाकर **18** वर्ष कर दी गई ।

भाग-**II** का अनुच्छेद **8**

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय

******